



कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द(राज.)



Email: np_ntd@yahoo.co.in, nagarpalikanathdwara@gmail.com

Ph. 02953-233526

क्रमांक : न.पा.नाथ./P.S.K.S./भूमि/22/13209

दिनांक : 29.06.2022

—: अनाधिसूचित आदेश :- (Denotification Order)


एतदर्थ स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान-सरकार जयपुर के पत्रांक भूमि/एफ.7(ड)(27)डीएलबी/09/21659 दिनांक 29.11.2012, पत्रांक एफ7()प्रशासं/डीएलबी /12/23145-183 दिनांक 04.12.2012, आदेश क्रमांक प.8(ग)नियम/डीएलबी/18/12892 दिनांक 06 जून 2018 एवं पत्रांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/21/67359 दिनांक 04.08.2021 से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 20.01.2022, 08.04.2022, 13.04.2022, 27.04.2022 व 19.05.2022 में पारित निर्णय की पालना में नगरपालिका क्षेत्र में अधिसूचित कच्ची बस्तियों में वर्तमान आधारभूत संरचना व विकसित सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए शहरी क्षेत्र में स्थित निम्नांकित कच्ची बस्तियों को गैर अधिसूचित योग्य होने से पालिका द्वारा पत्रांक न.पा.नाथ./22/9096 दिनांक 08.02.2022 के जरिये 15 दिवसीय आपत्तीय आम-सूचना समाचार-पत्र में प्रकाशित करायी गयी, जिसके उपरांत बाद निर्धारित अवधि किसी भी व्यक्ति/संस्था से नगरपालिका को इस संबंध में आपत्ती प्राप्त नहीं होने से तथा उक्त कच्ची बस्तियों में आधारभूत व ढांचागत सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था विकसित होने से नगरपालिका द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान में प्राप्त निर्देशोनुसार पालिका पत्रांक न.पा.नाथ./PSKS/22/12517 दिनांक 09.06.2022 से नगरपालिका क्षेत्र में वर्णित कच्ची बस्तियों के डिनोटिफाईड प्रस्ताव अनुमोदन हेतु स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान-सरकार को प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में स्वायत्त शासन विभाग के पत्रांक भूमि/एफ.7(ड)()डीएलबी/2022/6699 दिनांक 15.06.2022 के द्वारा जिन कच्ची बस्तियों में आधारभूत विकास पूर्ण हो चुका है एवं जो कच्ची बस्तियों की परिभाषा से बाहर होने योग्य हैं को अनाधिसूचित करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित स्थानीय एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय को अनुमोदित किया जा चुका है।

अतः स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान-सरकार जयपुर के पत्रांक भूमि/एफ.7(ड)(27)डीएलबी/09/21659 दिनांक 29.11.2012, पत्रांक एफ7()प्रशासं/डीएलबी /12/23145-183 दिनांक 04.12.2012, आदेश क्रमांक प.8(ग)नियम/डीएलबी/18/12892 दिनांक 06 जून 2018 एवं पत्रांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/21/67359 दिनांक 04.08.2021 से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 20.01.2022, 08.04.2022, 13.04.2022, 27.04.2022 व 19.05.2022 में पारित निर्णय के क्रम में नगरपालिका क्षेत्र में स्थित वे कच्ची बस्तियों जिनमेंआधारभूत विकास पूर्ण हो चुका है एवं जो कच्ची बस्तियों की परिभाषा से बाहर होने योग्य होने से तथा सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति उपरांत निम्नांकित कच्ची बस्तियों को अनाधिसूचित (Denotified) किया जाकर सामान्य क्षेत्र घोषित किया जाता है:-

क्र० सं०	कच्ची बस्ती का नाम (सम्पूर्ण क्षेत्र)	वार्ड न०	प्रभावित खसरा क्षेत्र (आंशिक अथवा पूर्ण)
1.	हरिजन बस्ती, होलीमंगरा, नाथद्वारा	32	2850
2.	यादव बस्ती, नाथद्वारा	15	2850
3.	उबा गणेशजी, सिहांड, नाथद्वारा	29	1850, 1851, 1854, 1485,

E:\Bherulal\Letter\2022\June\Denotification order.docx


अध्यक्ष
नगर पालिका नाथद्वारा


आयुक्त 29.6.22
नगरपालिका नाथद्वारा

			1486
4.	गुर्जरपुरा, नाथद्वारा	09	2850
5.	हाडकिया मंगरी, नाथूवास, नाथद्वारा	12	740,742,744, 738, 743
6.	कनवा बस्ती, नाथद्वारा	01	2755, 2502, 2504

सभी सूचित रहें।

(मनीष राठी)
अध्यक्ष

नगरपालिका नाथद्वारा



(कौशल कुमार खटूमरा)
नगरपालिका नाथद्वारा
नगरपालिका नाथद्वारा

दिनांक : 29.06.2022

क्रमांक : न.पा.नाथ./P.S.K.S./भूमि/22/ 13270-13222
प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द।
3. श्रीमान् निदेशक महोदय, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर निवेदन हैं कि उक्त डिनोटीफाईड आदेश को राजस्थान राजपत्र (गजट) के आगामी अंक में नियमानुसार प्रकाशित करा गजट की 50 प्रतियां नगरपालिका को उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
4. श्रीमान् मुख्य निष्पादन अधिकारी महोदय, मंदिर मण्डल, नाथद्वारा।
5. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, नगरपालिका नाथद्वारा।
6. श्रीमान् उपनिदेशक (क्षेत्रीय) महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
7. श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान सम्वाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग परिसर, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन हैं कि राज्य स्तरीय समाचार-पत्रों के राजसमन्द संस्करण में उक्त आदेश नियमानुसार प्रकाशित करावें।
8. श्रीमान् तहसीलदार, नाथद्वारा को सूचनार्थ।
9. श्रीमान् अध्यक्ष/उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका नाथद्वारा।
10. संबंधित वार्ड पार्षद श्री
11. श्री हरिश सैनी, सहायक प्रोग्रामर को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश को नगरपालिका की वेबसाईट पर अपलोड करें।
12. समस्त शाखा, नगरपालिका नाथद्वारा।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(कौशल कुमार खटूमरा)
आयुक्त
नगरपालिका नाथद्वारा
नगरपालिका नाथद्वारा